तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .....श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

राधेश्याम बनाम श्रीमती कमला वगैरह

5/3/19 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र व अपील में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को दिनांक 17.12.2018 को प्रतिवादी अजय पुत्र उदा, सुशीला पुत्र उदा एवं सीतादेवी पत्नि उदा का सम्पूर्ण हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया किन्तु विपक्षीगण द्वारा अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाकर बाले बाले वाद पत्र प्रस्तुत कर एक पक्षीय आदेश प्राप्त कर लिया और विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा भी बिना पक्षकारान को सुने अग्रिम आदेश तक स्थगित आदेश जारी कर त्रुटि कारित की है। वादग्रस्त आराजीयात सहखातेदारी सह काश्तकारी की आराजीयात है एवं सह खातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा होता है एवं कानूनन एक सहखातेदार के विरूद्ध दूसरा सहखातेदार अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता। मान्नीय उच्च न्यायालय एवं मान्नीय राजस्व मण्डल ने कई न्यायिक सिद्धान्त में दृष्टांत प्रतिपादित किया है कि एक सह खातेदार काश्तकार को पाबंद नहीं फरमाया जा सकता इसलिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के आदेश दिनांक 28.12.2018 की पालना व प्रभाव स्थगित किये जाने का आदेश प्रदान कराये अथवा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवम् प्रस्तुत समस्त दस्तावेजा का अवलोकन किया गया। बाद मनन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर ने अपने आदेश दिनांक 028.12.2018 द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर, विवादित आराजी ग्राम गोयला की भूमि खाता संख्या 291 के खसरा नम्बर 1556, 1562, 1579, 1580, 1581, 1582, 1582/2245, 1583, 1583/2244, 1584, 817, 819, 819/2246, कुल किता 14 कुल रकबा 4.21 है0 को अग्रिम आदेश तक राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये हैं।अभिभाषक अपीलांट द्वारा उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.की लार्जर बेंच द्वारा पारित आदेश 12.03.2014 में कथन किया कि "Revenue Appellate Authority has jurisdiction under Section 225 of the Act to entertain an appeal against an ex-parte or ad-iterim ex-parte order passed by a Trial Court under Section 212 of the Act, but the Revenue

राजस्व अपील अधिकारी

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .....श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	Appellate Authority has no jurisidiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte order which are effective only till next date of hearing."। मान्नीय मण्डल की उक्त नजीर द्वारा अपील चलने योग्य नही पायी जाती हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा अग्रिम आदेश तक विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश दिये है और अप्रार्थीगण जो कि विवादित आराजी के सह खातेदार काश्तकार है को पाबंद किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा पर अप्रार्थीगण को सुना नहीं गया है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राथमिक स्तर पर नियत है एवं प्रकरण का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए पक्षकारान के संमय व आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अपील का इसी स्तर पर निस्तारण करना उचित समझते है। **अतःअपील अपीलांट आंकिश स्वीकार की जती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम (अस्थायी निषेधाज्ञा)पर अपीलांट को पक्षकारान संयोजित करते हुए, उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं अपीलांट को प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का विवेचन कर, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर इस न्यायालय के आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	